# न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

**(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)**

प्रकरण संख्या 49/2022
प्रविष्टि दिनांक 12.10.2022

1–मूलचन्द पुत्र रामचन्द्रा जाति मीणा निवासी भडंगपुरा तहसील निवाई जिला टोंक
2–रामेश्वर पुत्र रामचन्द्रा जाति मीणा निवासी भडंगपुरा तहसील निवाई जिला टोंक
3–रामकिशन पुत्र रामचन्द्रा जाति मीणा निवासी भडंगपुरा तहसील निवाई जिला टोंक
4–पप्पू पुत्र रामचन्द्रा जाति मीणा निवासी भडंगपुरा तहसील निवाई जिला टोंक

–अपीलाण्ट्स

बनाम

नायब तहसीलदार निवाई जिला–टोक

–रेस्पोडेण्ट

**अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार निवाई दिनांक 07.09.2022 मिसल नम्बर 359/2022**

उपस्थिति : (1) श्री दौलतराम चौधरी,अभिभाषक अपीलान्ट्स
(2) श्री रामप्रसाद कुमावत, नायब तहसीलदार राजकीय पेरोकार

**निर्णय** **दिनांक 30.11.2022**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार निवाई ने अपने निर्णय दिनांक 07.09.2022 के द्वारा अपीलान्ट्स को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 356/1 मे से रकबा 10 बिस्वा किस्म चरागाह वाके ग्राम भडंगपुरा तहसील निवाई में राजकीय भूमि पर बाडा बनाकर अतिक्रमण करने के कारण पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 12/रू. पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार निवाई के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट्स एंव राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलांट की प्रोपर तामिल नही हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य [illegible] करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्याया[illegible] ने निर्णय पारित करने से पूर्व पटवारी हल्का के बयान भी लेखबद्ध नहीं किये हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने एक ही निर्णय के द्वारा अपीलांट्स को तीन सजाये क्रमशः बेदखल करने [illegible] आरोपित

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:58:34 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

करने व सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलांट्स ने अपील मीमो के साथ ही विवादित भूमि से अपना कब्जा हटा लेने बाबत शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय पेरोकार ने कथन किया कि अपीलान्ट्स को विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 356/1 मे से रकबा 10 बिस्वा किस्म चरागाह वाके ग्राम भडंगपुरा तहसील निवाई में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर बाडा बनाकर अतिक्रमण करने पर नायब तहसीलदार निवाई द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्ट्स की विधिवत तामील हुई है,परन्तु अपीलान्ट्स न्यायालय में उपस्थित नही हुये है। अपीलान्ट्स ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जो पटवारी रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्व है। अपीलान्ट्स भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है ओर राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट्स को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलाण्ट्स की और से पुत्र व पत्नि की तामील हुई है। अपीलान्ट्स अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुये है। अपीलान्ट्स द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 356/1 मे से रकबा 10 बिस्वा किस्म चरागाह वाके ग्राम भडंगपुरा तहसील निवाई पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर बाडा बनाकर अतिक्रमण किया है,जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्व है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 560/2022 निर्णय दिनांक 22.03.2022 से भूमि से बेदखल किया गया है। अपीलान्ट्स द्वारा अपील मीमो के साथ ही शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपना कब्जा हटा लिया है और अब मै भविष्य मे उक्त भूमि पर अथवा किसी भी राजकीय भूमि पर कब्जा नही करूंगा,परन्तु पटवारी हल्का चतुर्भुजपुरा ने अपने बयान मे उल्लेख किया है कि अपीलांट को दिनांक 11.05.2022 को उक्त खसरा नम्बर से बेदखल किया है। अतिकमी बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है ओर राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार निवाई का निर्णय दिनांक 07.09.2022 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:58:34 IST
Reason: SelfAttested

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते